क्रम-संख्या–820

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1—खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 30 दिसम्बर, 1978

पौष 9, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग–1

संख्या 3357/सत्रह–वि0–1––115-1978

लखनऊ, 30 दिसम्बर 1978

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1978 पर दिनांक 30 दिसम्बर, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38, सन् 1978 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38, सन् 1978]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 और उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

अध्याय–दो

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 का संशोधन

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, सन् 1961 की धारा 9 का संशोधन

2––उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 9 में---

(क) उपधारा (1) में, प्रतिबन्धात्मक खंड निकाल दिये जायेंगे और दिनांक 15 जुलाई, 1978 से निकाले गये समझे जायेंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी और दिनांक 25 अक्तूबर, 1978 से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात्––

"(2) जहां प्रमुख का पद रिक्त हो––

(क) वहां ज्येष्ठ उप प्रमुख, प्रमुख का निर्वाचन होने तक प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करेगा;

(ख) और यदि ज्येष्ठ उप प्रमुख का पद भी रिक्त हो, वहां प्रमुख या ज्येष्ठ उप प्रमुख का निर्वाचन होने तक कनिष्ठ उप प्रमुख, प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करेगा;

(ग) और यदि ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख दोनों के पद भी रिक्त हों, वहां जिला मजिस्ट्रेट, प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख या कनिष्ठ उप प्रमुख का निर्वाचन होने तक, प्रमुख के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आदेश द्वारा ऐसा प्रबन्ध कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।"

धारा 10 का संशोधन

3––मूल अधिनियम की धारा 10 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और दिनांक 25 अक्तूबर, 1978 से बढ़ायी गयी समझी जायगी, अर्थात्––

"(3) जहां क्षेत्र समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो, वहां उसका पुनर्गठन होने तक ऐसा व्यक्ति, जिसे जिला मजिस्ट्रेट इस निमित्त नियुक्त करे, क्षेत्र समिति, उसके प्रमुख और उसकी समितियों की समस्त शक्तियों का प्रयोग, कृत्यों का निर्वहन और कर्तव्यों का पालन करेगा और उसे समस्त प्रयोजनों के लिए ऐसी क्षेत्र समिति, प्रमुख या समिति समझा जायेगा।"

अध्याय––तीन

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

4––उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द "एक वर्ष की अवधि" के स्थान पर शब्द तथा अंक "9 अगस्त, 1979" रख दिये जायेंगे, और 1 अगस्त, 1978 से रखे गये समझे जायेंगे।

अध्याय––चार

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

5––(1) उत्तर प्रदेश ग्राम्य स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1978 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो और तीन में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र देव शर्मा,
सचिव।

No. 3357/XVII-V-1–115-1978

Dated Lucknow, December 30, 1978

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Gramya Swayatta Shasan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 38 of 1978), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 30, 1978 :

THE UTTAR PRADESH RURAL LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) ACT 1978

(U.P. ACT NO. 38 OF 1978)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961 and the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-ninth Year of the Republic of India, as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Rural Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1978.

CHAPTER II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH KSHETTRA SAMITIS AND ZILA PARISHADS ADHINIYAM, 1961

Amendment of section 9 of U.P. Act no. 33 of 1961.

2. In section 9 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), the provisos shall be omitted and shall be deemed to have been *omitted* with effect from July 15, 1978 ;

(*b*) for sub-section (2), the following sub-section shall be *substituted* and shall be deemed to have been *substituted* with effect from October 25, 1978, namely :—

"(2) where the office of the Pramukh is vacant—

(*a*) the senior Up-Pramukh shall discharge the functions of the Pramukh till the Pramukh is elected ;

(*b*) and if the office of senior Up-Pramukh is also vacant, the junior Up-Pramukh shall discharge the functions of the Pramukh till the Pramukh or the senior Up-Pramukh is elected ;

(*c*) and if the offices of both, the senior and junior Up-Pramukhs also are vacant the District Magistrate may, by order, make such arrangements as he thinks fit for the discharge of the functions of the Pramukh, till the Pramukh, senior Up-Pramukh or Junior Up-Pramukh is elected."

Amendment of section 10.

3. In section 10 of the principal Act, *after* sub-section (2), the following sub-section shall be inserted and shall be deemed to have been *inserted* with effect from October 25, 1978, namely :—

"(3) When the term of a Kshettra Samiti has expired then until the reconstitution thereof, such person as the District Magistrate may appoint in this behalf shall exercise, perform and discharge all powers, functions and duties of the Kshettra Samiti, its Pramukh and its Committees and shall be deemed to be such Kshettra Samiti, Pramukh or Committee for all purposes."

CHAPTER III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH ZILA PARISHADS (ALPAKALIK VYAVASTHA) ADHINIYAM, 1977

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 15 of 1977.

4. In section 2 of the Uttar Pradesh Zila Parishads (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, in sub-section (1), *for* the words "for a period of one year," the words and figures "until 9th day of August, 1979" shall be substituted and be deemed to have been *substituted* with effect from August 1, 1978.

CHAPTER IV

MISCELLANEOUS

Repeal and savings.

5. (1) The Uttar Pradesh Rural Local Self-Government Laws (Amendment) Ordinances, 1978 and the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads (Second Amendment) Ordinance, 1978 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Acts referred to in Chapters II and III as amended by the aforesaid Ordinances, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Acts as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,

R. C. DEO SHARMA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 793 राजपत्र (हिन्दी)–30–12–1978–(3331)–1978–2086 (मेक०)।